न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2025/118

1. लटूर आत्मज गोपाल
2. चन्द्रप्रकाश आत्मज लटूर
3. राकेश आत्मज लटूर
4. मुकेश आत्मज लटूर
   जाति मीणा निवासीगण अरनिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा

––अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :– 1. श्री महावीर सेन, अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 27.11.2025**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक कलेक्टर मुख्यालय कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 14/2022 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02. 2025 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादीगण अपीलांटगण ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम अरनिया तहसील लाड़पुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 351 की 1–88 हेक्टर भूमि किस्म चरागाह की स्थित चली आ रही थी। नकल जमाबन्दी पेश है। उक्त खसरा नम्बर 351 की 1–88 हेक्टर भूमि में से 1–68 हेक्टर भूमि पर वादीगण का पिछले 50 वर्षों से लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा हे और वादीगण के खिलाफ धारा 91 लें०रें०ए० की कार्यवाही की जाती रही है जिसमें वादीगण ने हमेशा जुर्माना किया है जिनकी रसीदे वादीगण के पास मोजूद है व आज भी वादीगण का कब्जा 1–68 हेक्टर भूमि पर चला आ रहा है। ग्राम अरनिया की खसरा नम्बर 351 की 1–88 हेक्टर भूमि में से 1–68 हेक्टर भूमि पर वादीगण का कब्जा पिछले 50 वर्षों से चला आ रहा है। किन्तु प्रतिवादी वादीगण को उक्त 1–68 हेक्टर भूमि से जबरन बैदखल करने पर आमादा है। ग्राम अरनिया की खसरा नम्बर 351 की 1–68 हेक्टर भूमि पर प्रार्थी का कब्जा पिछले 50 वर्षों से चला आ रहा है किन्तु न्यायालय उप खण्ड अधिकारी कोटा ने

मृतक व्यक्ति चून्या के द्वारा पेश किये गये वाद धारा 88 आर०टी०ए० वास्ते कमी रकबा दुरूस्ती को उक्त मामला राज० काश्तकारी अधि० का नहीं मान कर धारा 136 ले०रे०एक्ट के तहत मान कर प्रकरण को दिनांक 7–12–2002 को न्यायालय जिला कलेक्टर कोटा के यहां ट्रांसफर कर दिया और जिला कलेक्टर कोटा चून्या का नाम राजस्व रिकार्ड में 4–53 हेक्टर भूमि पर दर्ज करने व नक्शे व रिकार्ड में दुरूस्ती करने तथा किसी बडे चरागाह/सिवाय चक भूमि से रकबा की पूर्ति करने का आदेश प्रदान कर निर्णय दिनांक 22–2–2003 को पारित किया गया। जिसकी पालना में प्रतिवादी ने ग्राम अरनिया की खसरा नम्बर 351 की 1–88 हेक्टर भूमि में से 1–68 हेक्टर भूमि कम कर खसरा नम्बर 143 की भूमि में मिलाने का इंतकाल नं0 459 दिनांक 25–5–12 को रामदयाल, छोटुलाल पिस० चुन्या के नाम तस्दीक कर दिया। जिसकी अपील वादी नं० 1 द्वारा करने पर अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26–7–2016 से उक्त भूमि पर वादीगण का कब्जा मानते हुये इंतकाल नं0 459 को निरस्त कर दिया और भूमि पुनः सिवाय चक चरागाह दर्ज हो गयी। वादीगण का पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से कब्जा चले आने के कारण वादीगण उपरोक्त ख०न० 351 की 1–68 हेक्टर भूमि को अपने खाते दर्ज करवाने व नियमन करवाने के अधिकारी है। उक्त भूमि वादीगण की आय का एक मात्र साधन है इसके अलावा वादीगण के पास अन्य कोई भूमि नहीं है। वादीगण ने पटवारी हल्का को इस संबंध में 1–68 हेक्टर भूमि उनके खातेदारी में दर्ज करने हेतु दिनांक 3–10–19 को कहा तो पटवारी हल्का ने वादीगण के खाते दर्ज करने से इन्कार कर दिया तथा वादी को बेदखल करने की धमकी दी। यदि प्रतिवादी व उसके प्रतिनिधि को उक्त कृत्य करने से नहीं रोका गया तो वादीगण को अपरिमित क्षति होगी जिसकी क्षति पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकेगी। उपरोक्त परिस्थितियो में वादी के लिये माननीय न्यायालय में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं खातेदारी घोषणा का वाद लाना आवश्यक हो गया है। जिस हेतु यह वाद पेश है। वाद कारण प्रतिवादी द्वारा उपरोक्त विवादित भूमि खसरा नम्बर 351 की 1–68 हेक्टर भूमि पर वादी गण का 50 वर्ष से भी अधिक समय का कब्जा होने के बावजूद भी उक्त भूमि दिनांक 3–10–2019 को वादीगण के खाते दर्ज करने से इन्कार करते हुये वादीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने की धमकी देने पर पैदा हुआ। अतः वाद पेश कर प्रार्थना है कि वादीगण के पक्ष में प्रतिवादी के खिलाफ निम्न आशय की आज्ञा व डिक्री पारित की जावे (अ). कि ग्राम अरनिया तहसील लाड़पुरा जिला कोटा की खसरा नम्बर की 351 की 1–88 हेक्टर में से 1–68 हेक्टर भूमि का वादीगण को उसके 50 वर्ष के कब्जे के आधार पर खातेदार घोषित किया जावे। उक्त भूमि चरागाह खाते से हटा कर वादीगण के खाते दर्ज किये जाने का आदेश पारित किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती फरमायी जावे। (ब). कि प्रतिवादी को अमल दरामद करने हेतु पालना रिपोर्ट मंगवायी जाने हेतु आदेश प्रदान किया जावे। (द). कि एक स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारित की जावे कि प्रतिवादी वादी को उपरोक्त ग्राम अरनिया तहसील लाड़पुरा जिला कोटा की खसरा नम्बर की 351 की 1–68 हेक्टर भूमि से वादीगण को बेदखल नहीं करे ओर न वादीगण के कब्जे काश्त में व्यवधान ही पैदा करे ओर न कब्जा करे। (य). कि वाद व्यय वादीगण को प्रतिवादी से दिलायी जावे। (र). कि अन्य न्यायोचित सहायता हो वह भी वादीगण को प्रदान की जावे।

3. उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.02.2025 को वादीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत वाद खारिज किए जाने की निर्णय व डिक्री पारित की।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2025 से व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.02.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2025 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने लिखित बहस पेश की तथा अपनी बहस में अपील मेमो व लिखित बहस के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि न्याय एवं संचिका मे सिद्धी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को समुचित सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर प्रदान किये बिना ही अपीलान्ट के विरूद्ध डिक्री प्रदान कर दी जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 91 92ए, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट को बिना दस्तावेजात एवं समुचित साक्ष्य के अभाव में अपने अधिकारो से परे जाकर वाद को डिक्री एवं निर्णय किया है। जबकि ग्राम अरनिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा की खसरा नम्बर 351 की 1.88 हैक्टर में से 1.68 हैक्टर भूमि का अपीलान्ट को उसके 50 वर्ष के कब्जे के आधार पर खातेदार घोषित किया जाना चाहिए था। उक्त भूमि चारागाह खाते से हटाकर अपीलान्ट के खाते दर्ज की जावे तथा राजस्व रिकॉर्ड मे दुरूस्ती फरमायी जावे अपीलान्ट को उपरोक्त ग्राम अरनिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा की खसरा नम्बर 351 की 1.68 हैक्टर भूमि से अपीलान्ट को बेदखल नही करे और न अपीलान्ट के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करे और न कब्जा करे । अपीलान्ट पिछले 50 वर्षों से अधिक समय से कब्जा चले आने के कारण एवं भूमिहीन काश्तकार होने से अपीलान्ट उक्त खसरा नम्बर 351 की 1.68 हैक्टर भूमि को अपने नाम नियमन करवाने तथा अपने खातेदारी मे दर्ज करवाने का अधिकारी है। उक्त भूमि अपीलान्ट की आय का एक मात्र साधन है इसके अतिरिक्त अपीलान्ट के पास अन्य कोई भूमि नहीं है। उपरोक्त आराजी से रेस्पोडेन्ट का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है। रेस्पोडेन्ट की दिनांक 10.10.24 को एक पक्षीय कार्यवाही की गयी थी जवाब नही आने से उक्त वाद में कोई तनकीयात भी कायम नही की गयी है। और न ही उसने कब्जे के संबंध में कोई तथ्य पेश किया है। इस कारण से रेस्पोडेन्ट को उक्त आराजी पर कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकारी देने में कानूनी भूल की है रेस्पोडेन्ट द्वारा विवादित आराजी पर किसी प्रकार का कोई कब्जा नही बताया गया है जबकि अपीलान्ट का उक्त आराजी पर 50 वर्षों से भी अधिक समय से

न्यायालय राजस्व अपील ... अधिकारी

कब्जा चला आ रहा है तथा अपीलान्ट ही उक्त आराजी पर वर्तमान में काश्त करते चले आ रहे है। रेस्पोडेन्ट का 50 वर्षो से किसी प्रकार का कोई कब्जा नहीं होने तथा अपीलान्ट का उक्त कृषि आराजी पर 50 वर्षो से भी अधिक समय से कब्जा होने के कारण अपीलान्ट द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 188 आर टी एक्ट खातेदारी एवं कब्जे के आधार पर प्रस्तुत किया था विधि का यह एक सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब अपीलान्ट ने अपनी साक्ष्य एवं समुचित दस्तावेज एवं जुर्माना रसीदो से यह साबित कर दिया कि अपीलान्ट उक्त आराजी पर खातेदार कृषक घोषित किये जाने योग्य है। उक्त प्रकरण की वास्तविकता इस प्रकार से है कि अपीलान्ट वर्तमान में ग्राम अरनिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा में खसरा नम्बर 350 की 1.68 हैक्टर भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे है। तथा 50 वर्षो से भी अधिक समय से आराजी पर अपीलान्ट का निरन्तर एवं निर्वाध रूप से कब्जा चला आ रहा है और वर्तमान में भी कब्जा है इस कानूनी बिन्दु पर भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नहीं फरमाकर अपने अधिकारो से परे जाकर अपीलान्ट के विरूद्ध डिक्री एवं निर्णय पारित किया है। अतः लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.02.25 निरस्त किया जावे, एवं अपीलान्ट का पिछले 50 वर्षो से अधिक समय से कब्जा चले आने के कारण एवं भूमिहीन काश्तकार होने से अपीलान्ट उक्त खसरा नम्बर 351 की 1.68 हैक्टर भूमि को नियमन करते हुए खातेदारी में दर्ज किया जावे क्योकि उक्त भूमि अपीलान्ट की आय का एक मात्र साधन है इसके अतिरिक्त अपीलान्ट के पास अन्य कोई भूमि नहीं है। उपरोक्त तथ्यो का रेस्पोडेन्ट द्वारा किसी भी प्रकार से खण्डन भी नही किया गया है। इस हेतु रेस्पोडेन्ट को पाबन्द फरमाया जावे कि वह उक्त आराजी को किसी भी तरह हस्तान्तरित रहन बय नहीं करे आराजी किस्म परिवर्तन नही करावे। एवं अन्य न्यायोचित सहायता प्रदान की जावे।

7. हमने विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में वादीगण अपीलांटगण द्वारा वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम अरनिया तहसील लाडपुरा की खसरा संख्या 351 रकबा 1.88 हैक्टेयर में से 1.678 हैक्टेयर भूमि का स्वयं को खातेदार घोषित किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2066 के अनुसार प्रश्नगत खसरा संख्या 351 की भूमि, चारागाह दर्ज रिकॉर्ड है अतः वादग्रस्त आराजी सरकारी भूमि है। अपीलांटगण का कथन है कि अपीलांटगण प्रश्नगत खसर संख्या 351 की भूमि पर विगत 50 वर्षो सें भी अधिक समय से निरन्तर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है, इस कारण वादीगण अपीलांटगण प्रश्नगत खसरा संख्या 351 की भूमि को स्वयं की खातेदारी में दर्ज करवाने के अधिकारी है। अतः वादीगण अपीलांटगण द्वारा, प्रश्नगत वाद में कब्जे के आधार पर खातेदारी प्राप्त किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। परन्तु वर्तमान विधि के अनुसार कब्जा मुखालफाना के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना विधि सम्मत नहीं है। कब्जा मुखालफाना के सम्बंध में माननीय राजस्व मण्डल के न्यायिक दृष्टांत 2015 डी.एन.जे. 2015 पेज 224 एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2018(3)डब्ल्यु.एल.एन पेज 114 प्रतिपादित किए गए है जिनके अनुसार कब्जा

राजस्व अपील अधिकारी कोटा

(signature)

मुखालफाना के आधार पर वाद पोषणीय नहीं होना माना गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने निर्णय दिनांक 28.02.2025 में कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान किया जाना कानूनी रूप से प्रतिबन्धित होना मानकर वाद खारिज किए जाने का आदेश अंकित किया है, जिससे हम सहमत है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2025 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है।

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर मुख्यालय कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 14/2022 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2025 यथावत रखा जाता है।

9. पत्रावली फैसल शुमार हो व नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलंब लौटाई जाए।

10. निर्णय आज दिनांक 27.11.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/11/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अंपील प्राधिकारी, कोटा
राजस्व अ... ...री
कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

Judl/Govt.
Part 1V - B

अपील में डिक्री

(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)

राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

बइजलास मुरलीधर प्रतिहार, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 2025/118

1. लटूर आत्मज गोपाल
2. चन्द्रप्रकाश आत्मज लटूर
3. राकेश आत्मज लटूर
4. मुकेश आत्मज लटूर
   जाति मीणा निवासीगण अरनिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा

—अपीलांटगण

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

—रेस्पोडेन्ट

प्रकरण संख्याः 14/22

1. लटूर आत्मज गोपाल
2. चन्द्रप्रकाश आत्मज लटूर
3. राकेश आत्मज लटूर
4. मुकेश आत्मज लटूर

जाति मीणा निवासीगण अरनिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा

— वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

—प्रतिवादी

... अपीलान्ट के पास मौजूद है व

अपील का ज्ञापन

1. **उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद संख्या 14/22 में न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2025 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात** कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है। अतः उक्त अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जावे ।

2. उक्त अपील तारीख 27.11.2025 को बहाजरी अपीलान्ट की ओर से विद्वान् अभिभाषक श्री महावीर सेन के उपस्थित होने पर यह आदेश दिया जाता है कि अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 14/22 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.02.2025 यथावत रखी जाती है।

3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने है।

4. यह डिक्री आज तारीख 27.11.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

मुहर

27/11/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा